कार्यालय – आदेश

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के प्रचार अनुभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में विकास कार्यों के लिए टेंडर नोटिसें एवं सम्पत्तियों के पंजीकरण ,आवंटन,नीलामी व प्रचार आदि के लिए समय–समय पर विज्ञापन दिये जाते हैं। इससे सम्बन्धित समस्त पूर्वादेशों को अवक्रमित करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्न व्यवस्था लागू की जाती है:–

1. टेण्डर नोटिस के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के विज्ञापन प्रचार अनुभाग मुख्यालय के द्वारा अपर आवास आयुक्त के सामान्य निर्देशन में संयुक्त आवास आयुक्त(प्रचार) द्वारा विज्ञापित कराये जायेंगें। तथा विभिन्न नगरों/योजनाओं के सम्पत्ति के पंजीकरण संबंधी विज्ञापन को स्थानीय समाचार पत्रों के अतिरिक्त लखनऊ के प्रचलित समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया जाएगा। निर्माण एवं विकास कार्यों से संबंधित निविदाओं आदि के विज्ञापन अधिशासी अभियंता अपने स्तर से परिषद मुख्यालय द्वारा पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से करायेगें तथा सम्बन्धित बिलों का भुगतान अपने कार्यालय से करेगें।

2. लीगल नोटिस, टेंडर नोटिस,सार्वजनिक सूचनाओं का प्रकाशन यू.पी.आई.डी. दर पर समाचार पत्रों की सहमति पर एवं अन्य विज्ञापनों (यथा–आवंटन,पंजीकरण आदि) का प्रकाशन व्यवसायिक दर पर किया जायगा।

3. प्रकाशित की जाने वाली सामग्री सम्बन्धित विभाग द्वारा अनुरोध पत्र के साथ प्रचार अनुभाग को प्रकाशित किये जाने के दिनांक से कम से कम सात दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी।

4. प्रकाशित की जाने वाली सामग्री प्राप्त होन पर इसे परिषद के पैनल में सम्मिलित पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को डिजाइन तैयार करने हेतु भेजा जायेगा।विज्ञापन एजेंसियों से समयान्तर्गत प्राप्त डिजाइनों से उपयुक्त डिजाइन का चयन संयुक्त आवास आयुक्त प्रचार द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात विज्ञापन प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों का निर्धारण करके अपर आवास आयुक्त /आवास आयुक्त स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात स्वागत अधिकारी द्वारा रिलीज आर्डर निर्गत करके विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से निर्धारित तिथि पर विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

5. प्रचार अनुभाग के स्तर से प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के बीजकों के भुगतान के लिए निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी :–

5.1 प्रचार अनुभाग से प्रकाशित होने वाले –नियुक्ति प्रशासनिक सूचना, सहकारी समितियों हेतु सूचना,लेखन सामग्री कम्प्यूटर आदि के कय संबंधी कोटेशन /टेंडर नोटिस ,हाउसिंग डिमांड सर्वे ,ओ.टी.एस.कार्यशालाओं संबंधी विज्ञापन माननीय मंत्री आदि के कार्यकमों एवं उपलब्धियों के विज्ञापन,प्रकाशित होने के पश्चात विज्ञापन एजेंसी से टियरशीट एवं बिल प्राप्त कर संयुक्त आवास आयुक्त (प्रचार) के माध्यम से सत्यापित कर रू0 5000/– से अधिक के देयकों पर पूर्व सम्परीक्षण कराने के बाद संयुक्त आवास आयुक्त (प्रचार)द्वारा भुगतान आदेश पारित किया जायेगा। रू0 5000/– तक के विज्ञापन बीजकों का भुगतान बिना पूर्व सम्परीक्षण के किया जायेगा तथा इन देयकों का भुगतान नियमानुसार लेखानुभाग मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

5.2 प्रचार अनुभाग से प्रकाशित होने वाले अन्य विज्ञापनों के संबंध में विज्ञापन एजेंसियों से टियरशीट व बिल प्राप्त करके उन्हें संयुक्त आवास आयुक्त (प्रचार) मुख्यालय,द्वारा नियमानुसार भुगतान हेतु सत्यापित कर बिलों को विज्ञापन से संबंधित योजना के खंड कार्यालय को भुगतान हेतु भेजा जायेगा। सम्बन्धित खंड कार्यालय बीजक की धनराशि का चेक /बैंक ड्राफ्ट "रिवाल्विंग फंड उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद" के नाम बनाकर बिलम्बतम 15 दिन के अन्दर प्रचार अनुभाग मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। संयुक्त आवास आयुक्त(प्रचार) इसे रिवाल्विंग फंड में जमा कराकर सम्बन्धित एजेंसी को इसका भुगतान सुनिश्चित करायेंगें। यदि किसी कारण से संबंधित खंड कार्यालय द्वारा 15 दिनो के अन्दर भुगतान की धनराशि का चेक/बैंक ड्राफट संयुक्त आवास आयुक्त(प्रचार) को उपलब्ध नही कराया जाता है तो संयुक्त आवास आयुक्त (प्रचार) इस हेतु बनाये गये रिवाल्विंग फंड (जो रू0 10.00लाख का होगा) क़े बैंक खाते से विज्ञापन एजेंसी को भुगतान करेंगे और खंड कार्यालय से बीजक की धनराशि प्राप्त करके इसकी प्रति पूर्ति रिवाल्विंग फंड में करायेंगे। उपरोक्त रिवाल्विंग फंड हेतु एक अलग बैंक खाता प्रचार अनुभाग में रिवार्ल्विग फण्ड उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम से खोला जायेगा तथा खाते का संचालन संयुक्त आवास आयुक्त (प्रचार)द्वारा किया जायेगा।

Related process UPHDB/ PM/PRO-50	Prepared by (कमला मिश्रा) स्वागत अधिकारी	Reviewed by (पी.सी.गुप्ता) संयुक्त आवास आयुक्त	Approved by (विद्यानन्द गर्ग) आवास आयुक्त

payment

5.3 खंड स्तर पर प्रत्येक माह भुगतान किये गये एवं लम्बित बीजकों का विवरण तैयार कर संयुक्त आवास आयुक्त(प्रचार)को प्रेषित किया जायेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित खंड कार्यालय से बीजकों का भुगतान निर्धारित समयावधि में हो रहा है।

6. क्षेत्रीय संयुक्त आवास आयुक्त के स्तर पर रू0 20,000/–की सीमा तक मुख्यालय द्वारा अनुबंधित /पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराये जा सकेंगे तथा प्राप्त बीजक सत्यापित करते हुए उस योजना से संबंधित अधिशासी अभियंता को भुगतान हेतु भेजा जायेगा, जिस योजना से संबंधित विज्ञापन हो। संबंधित अधिशासी अभियंता बीजक का भुगतान संबंधित एजेंसी को करते हुए व्यय की गई धनराशि को उसी योजना विशेष के विकास कार्यों पर अधिमारित करेंगे। यदि एक विज्ञापन में कई योजनाओं से संबंधित विषय वस्तु हो तो संयुक्त आवास आयुक्त अपने स्तर पर यह निश्चित करेंगे कि इसका व्यय किस योजना पर अधिमारित किया जायेगा और तदनुसार सम्बन्धित आधिशासी अभियन्ता को बिल भुगतान हेतु भिजवाया जायेगा।

पृ0 सं0 441 /प्रचार / दिनांक 13 8.04

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1:– अपर आवास आयुक्त एवं सचिव,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
2:– मुख्य अभियंता/मुख्य वास्तुविद नियोजक/वित्त नियंत्रक,मुख्यालय लखनऊ।
3:– समस्त संयुक्त आवास आयुक्त (जोन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ/कानपुर /बरेली/आगरा/मेरठ/वाराण्सी।
4:– समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता(वृत्त/निर्माण खंड) उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,।
5:– उप आवास आयुक्त/सहायक आवास आयुक्त /संपत्ति प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,।
6:– मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
7:– कार्यालय आदेश पुस्तिका।

Related process UPHDB/ PM/PRO-50	Prepared by (कमला मिश्रा) स्वागत अधिकारी	Reviewed by (पी.सी.गुप्ता) संयुक्त आवास आयुक्त	Approved by (विद्यानन्द गर्ग) आवास आयुक्त